कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 18.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–28 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अशोक कुमार पुत्र रामआश्रय नि0 करमा पाठक थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–159/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विनोद कुमार कनौजिया पुत्र बसन्त लाल नि0 मुरावन पुरवा मौजा बसन्तपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 24 अदद बियर केन बरामद कर मु0अ0सं0–76/21, धारा 60(1) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 18.04.2021

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनावी माहौल बिगाड़ने वाले जिला पंचायत सदस्य सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने पंचायत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

आज दिनांक 18.04.2021 को थाना वजीरगंज में दो पक्षो ने चुनावी विवाद के चलते शांति व्यवस्था को भंग किया था जिस पर थाना वजीरगंज पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शान्ति भंग करने वाले प्रथम पक्ष के 04 अभियुक्तों– 01. प्रवीण सिंह, 02. राजन सिंह, 03. विपुल सिंह, 04. राहुल सिंह व द्वितीय पक्ष के 01. लालजी मौर्या, 02. रंजीत मौर्या, 03. माया राम को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त राहुल सिंह जिला पंचायत सदस्य है, के अतिरिक्त अन्य 03 नफर के विरूद्ध 122–बी की रिपोर्ट भी प्रेषित की गयी है।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल</u>
<u>जनपद गोण्डा दिनांक 18.04.2021</u>

थाना तरबगंज पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन कर प्रधानी चुनाव में शराब बांटने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने पंचायत चुनाव के मद्देजनर लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

दिनांक 17.04.2021 को थाना तरबगंज के उ0नि0 बब्बन सिंह मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर ग्रामसभा धौरहरा में पंचायती चुनाव में लाभ लेने हेतु घर–घर जाकर शराब बाटते समय 03 अभियुक्तो–01 सोनू तिवारी 02 आलोक वर्मा 03 काशीराम जायसवाल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 पौव्वा मैकडावल, 35 पौव्वा बबली लाईम देशी शराब व 02 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना तरबगंज में सम्बन्धित घाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>
01. सोनू तिवारी पुत्र स्व0 पारसनाथ नि0 रतोहिया धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. आलोक वर्मा पुत्र तिलकराम नि0 बाबापुरवा धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. काशीराम जायसवाल पुत्र रामआश्रय नि0 धौरहराघाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–100/21, धारा 188, 171ई, 171 एफ भादवि, 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 60/72 आबकारी अधि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01. 25 पौव्वा मैकडावल।
02. 35 पौव्वा बबली लाईम देशी शराब।
03. परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिले।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 बब्बन सिंह मय टीम।